

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-2/सा०चि०पदा०-222/2024- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2025

डा० चन्द्रमणि, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, पी०एस०एम० विभाग, भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालन्दा के दिनांक-21.10.2022 से 02.07.2023 तक, दिनांक-27.11.2023 से 01.12.2023 तक एवं दिनांक 08.12.2023 से 09.01.2024 तक उपभोगित अवकाश अवधि को बिहार सेवा संहिता के नियम-230, 232 एवं 236 तथा वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापाक-880(25), दिनांक-03.06.24 द्वारा प्राप्त अवकाश आदेयता प्रतिवेदन के आलोक में निम्नांकित रूप में स्वीकृत किया जाता है :-

- (i) दिनांक-21.10.2022 से 29.12.2022 तक - कुल-70 (सत्तर) दिन उपार्जित अवकाश के रूप में।
- (ii) दिनांक-30.12.2022 से 28.01.2023 तक - कुल-30 (तीस) दिन अर्द्धवैतनिक अवकाश के रूप में।
- (iii) दिनांक-29.01.2023 से 02.07.2023 तक - असाधारण अवकाश के रूप में।
- (iv) दिनांक-27.11.2023 से 01.12.2023 तक - कुल-5 (पाँच) दिन उपार्जित अवकाश के रूप में।
- (v) दिनांक-08.12.2023 से 15.12.2023 तक - कुल-8 (आठ) दिन उपार्जित अवकाश के रूप में।
- (vi) दिनांक-16.12.2023 से 09.01.2024 तक - असाधारण अवकाश के रूप में।

02. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विद्यानन्द जमादार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-2/सा०चि०पदा०-222/2024-729(2) पटना, दिनांक 9/5/2025

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्राचार्य, भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालन्दा/कोषागार पदाधिकारी, नालन्दा/ डा० चन्द्रमणि, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, पी०एस०एम० विभाग, भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।